न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बिलाड़ा
जिला जोधपुर

पीठासीन अधिकारी :- **मृदुला शेखावत, आर.ए.एस.**
राजस्व वाद संख्या :- 129/2019

वादी	**बनाम**	**प्रतिवादीगण**
भगवतसिंह		गणपतसिंह वगैराह

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 22 नियम 9, 10 सपठित धारा 151 सीपीसी बाबत दावा जरिये अबेटमेन्ट खारिज करने।

उपस्थिति :- प्रार्थी/प्रतिवादी -श्री गणपतलाल चौधरी अधिवक्ता।
अप्रार्थी/वादी - श्री डी डी रामावत अधिवक्ता।

निर्णय **दिनांक** :- 16/04/25

प्रतिवादी सं. 1 की ओर से प्रार्थना पत्र पेश किया जिसके संक्षेप में मामले के तथ्य इस प्रकार है कि प्रतिवादी सं. 2 नाथूसिंह पुत्र दुर्गासिंह जाति राजपूत 10 वर्ष पूर्व फौत हो चुका है। प्रतिवादी सं. 3 मोहनकंवर पत्नी दुर्गासिंह जाति राजपूत 20 वर्ष पूर्व फौत हो चुकी है। प्रतिवादी सं. 5 रामाराम पुत्र करनाराम जाति चौकीदार 10 पूर्व फौत हो चुका है। प्रतिवादी सं. 6 सगराम पुत्र गुणाराम जाति कुम्हार 4 वर्ष पूर्व फौत हो चुका है। वादीगण की ओर से प्रतिवादी सं. 2, 3, 5, 6 के कायम मुकाम के कार्यवाही नहीं की गयी है। प्रतिवादी सं. 2, 3, 5, 6 के कायम मुकाम को रेकर्ड पर लेने की अवधि 90 दिन की है, जो व्यतीत हो चुकी है इस कारण दावा अबेट हो चुका है।

अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि दावा प्रतिवादी सं. 2, 3, 5, 6 के विरूद्ध एबेट किया जाकर प्रतिवादी सं. 2, 3, 5, 6 के हद तक दावा खारिज किया जाने का आदेश फरमावें।

प्रतिवादी सं. 1 के प्रार्थना पत्र का जवाब वादीगण द्वारा इस प्रकार पेश है कि वाद के विचारण के दौरान वादीगण द्वारा इस वाद के साथ अन्य वाद सं. 78/86 को कंसोलिडेड करने बाबत प्रार्थना पत्र पेश किया। जिसकी रिवीजन वादीगण द्वारा सन् 1992 में राजस्व मण्डल अजमेर में पेश की गई, जहां दोनों दावों को साथ-साथ सुनवाई करने बाबत आदेश जारी कर दोनों पत्रावलीयां को कंसोलिडेड करने का निर्णय पारित किया गया तथा दोनों दावों की पत्रावलियां माननीय न्यायालय में भिजवाई गई। इस दौरान एक पत्रावली को निर्णीत पत्रावली सुमार कर जिला अभिलेखागार में जमा करवा दी गई। जिससे वादीगण द्वारा तत्परतापूर्वक सुनवाई हेतु उपस्थित रहने के उपरान्त वाद में आगे कोई सुनवाई नहीं की जा सकी तथा अन्य पत्रावली हाल ही में माननीय न्यायालय द्वारा प्राप्त हुई हैं इस दौरान वाद में प्रतिवादी सं. 2 नाथूसिंह, 3 मोहनकंवर, 4 रामाराम व सन् 2010 में निधन हो गया तथा प्रतिवादी सं. 6 सगराम का सन् 2015 में देहान्त हो गया। उक्त वाद में उपरोक्तानुसार सद्भाविक चूक के चलते पत्रावली में कतई कोई प्रभावी कार्यवाही/सुनवाई नहीं की जा सकी, जिसके चलते मृतक प्रतिवादीगण के कायम मुकाम को रेकर्ड पर लिये जाने हेतु आवदेन नहीं किया जा सका। मृतक प्रतिवादी सं. 2 नाथूसिंह के कायम मुकाम नरेन्द्रसिंह, विरेन्द्रसिंह, भरतसिंह पिसरान नाथूसिंह शिवकंवर पुत्री नाथूसिंह व कल्याण कंवर, वेदवतीकंवर व हेमलताकंवर पुत्रिया नाथूसिंह है। प्रतिवादी सं. 3 मोहनकवंर के कायम मुकाम ओमकंवर पुत्री मोहनकवंर पत्नी दुर्गासिंह है। तथा उनके पुत्र जो पूर्व से बतौर प्रतिवादी वाद में पक्षकार है, जो भी फौत हो चुके है। प्रतिवादी सं. 5 रामाराम के कायम मुकाम उनके पुत्रगण बाबुराम व भैराराम है जो दोनों फौत हो चुके है। जिनमें बाबुराम के पुत्र- रतनाराम, सुरजाराम, दिनेश पिसरान बाबुराम व पुत्रियां मोकली, पानी व ममता पुत्रिया बाबुराम व तथा पत्नी हरकुदेवी है तथा भैराराम के पुत्र प्रकाश, ओमाराम, महेन्द्र मुकेश पिसरान भैराराम व उसकी पत्नी छोटीदेवी है तथा प्रतिवादी सं. 6 सगराम के कायम मुकाम जोगाराम, डूंगरराम पिसरान सगराम तथा पुत्री सहिता है। जो वाद में उक्त मृतक प्रतिवादीगण के स्थान पर बतौर कायम मुकाम आवश्यक पक्षकार है

सहायक कलक्टर
एवं उप खण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि उक्त मृतक प्रतिवादीगण के कायम मुकाम को बतौर प्रतिवादी पक्षकार संयोजित कर वाद में संशोधित वाद शीर्षक पेश करने हेतु वादीगण को आदेशित किया जावें।

उभय पक्षकारान की बहस सुनी गयी। वादीगण अधिवक्ता ने अपने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया और कथन किया कि उक्त वाद के साथ अन्य वाद सं. 78/86 को कंसोलिडेड करने बाबत प्रार्थना पत्र पेश किया जिसकी रिवीजन सन् 1992 में राजस्व मण्डल अजमेर में पेश किया, जहां दोनों पत्रावलियों को कंसोलिडेड करने का निर्णय पारित कर पत्रावलियां माननीय न्यायालय में भिजवाई गई। इस दौरान एक पत्रावली निर्णीत होकर जिला अभिलेखागार में जमा करवा दी गई। वादीगण के वाद में उपस्थित रहने के उपरान्त वाद में आगे कोई सुनवाई नहीं की जा सकी। इस दौरान वाद में प्रतिवादी सं. 2, 3, 4 का सन् 2010 में निधन हो गया तथा प्रतिवादी सं. 6 का सन् 2015 में देहान्त हो गया। उक्त वाद में उपरोक्तानुसार सद्भाविक चूक के चलते पत्रावली में कतई कोई प्रभावी कार्यवाही नहीं की जा सकी। वादीगण द्वारा मृतक प्रतिवादीगण के कायम मुकाम को रेकर्ड पर लिये जाने का निवेदन किया। प्रतिवादी सं. 1 अधिवक्ता ने अपने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराया और कथन किया कि वादीगण की ओर प्रतिवादी सं. 2, 3, 5 व 6 के कायम मुकाम की कार्यवाही नहीं की गयी तथा मृतक प्रतिवादियों के कायम मुकाम को रेकर्ड पर लेने की अवधि 90 दिन की है, जो व्यतीत हो चुकी है। इस कारण दावा अबेट किया जाने का निवेदन किया।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। वादीगण ने प्रतिवादीगण के विरुद्ध अन्तर्गत धारा 88, 91, 183 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रकरण सं. 129/2019 के तहत राजस्व मण्डल अजमेर से स्थानान्तरित होकर प्राप्त होने पर दिनांक 26.12.2019 को पुनः नये सिरे से दर्ज रजिस्टर किया गया। तारीख पेशी दिनांक 09.01.2020 को वादीगण द्वारा अन्तर्गत आदेश 1 नियम 10 सीपीसी का प्रार्थना पत्र पेश किया गया। वादीगण द्वारा अन्तर्गत आदेश 22 नियम 4 सपठित धारा 151 सीपीसी के जवाब में प्रतिवादी सं. 2, 3 व 4 का निधन सन् 2010 व प्रतिवादी सं. 6 का निधन सन् 2015 में होना बताया है। प्रतिवादी सं. 1 द्वारा तारीख पेशी दिनांक 17.03.2020 को प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 22 नियम 9, 10 सपठित धारा 151 सीपीसी पेश कर प्रतिवादी सं. 2, 3, 4 व 6 को निधन होना बताया । उसके उपरान्त भी आज दिनांक तक वादीगण द्वारा मृतक प्रतिवादियों के कायम मुकाम को रेकर्ड पर लेने के लिए संशोधित वादपत्र पेश करना उचित नहीं समझा। इसी प्रकार तारीख पेशी दिनांक 24.07.2024 को प्रतिवादी सं. 1 गणपतसिंह के देहान्त की सूचना प्रतिवादी सं. 1 के अधिवक्ता द्वारा न्यायालय हाजा को दी गई, जिसकी पुष्टि पत्रावली की आदेशिका से की गई। वादीगण ने 90 दिन की अवधि या अवधि पार हेतु के बावजुद भी कोई प्रार्थना पत्र पेश नही किया है जो एक घोर लापरवाही है क्योकि वाद चलाने की समस्त जिम्मेदारी वादीगण की होती है। वादीगण अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 22 नियम 4 सी.पी.सी. पेश किया किन्तु प्रार्थना पत्र के साथ धारा 5 म्याद अधिनियम पेश नहीं किया गया। वादीगण द्वारा इतने लम्बी अवधि के बाद कायम मुकाम प्रार्थनापत्र पेश किया जिसके विलम्ब का कोई तर्क संगत एवं विश्वास योग्य कारण प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतः उक्त विलम्ब काल को माफ किया जाना कतई विधि संगत एवं उचित नहीं होगा क्योंकि वादीगण द्वारा धारा 5 म्याद अधिनियम प्रार्थना पेश ही नहीं किया। प्रतिवादी सं. 2, 3, 4 व 6 फौत होनें पर अधिवक्ता प्रतिवादी न्यायालय हाजा को 17.03.2020 को सूचना दिये जानें पर न्यायालय हाजा द्वारा अधिवक्ता वादी को मृतक प्रतिवादीगण के कायम मुकाम बाबत् प्रार्थनापत्र प्रस्तुत करनें हेतु निर्देशित किया गया था। इसी प्रकार प्रतिवादी सं. 1 फौत होनें पर अधिवक्ता प्रतिवादी न्यायालय हाजा को 24.07.2024 को सूचना दिये जानें पर न्यायालय हाजा द्वारा अधिवक्ता वादी को मृतक प्रतिवादी सं. 1 के कायम मुकाम बाबत् प्रार्थनापत्र प्रस्तुत करनें हेतु निर्देशित किया गया था। इसके बावजूद अधिवक्ता वादीगण द्वारा कई वर्ष तक उक्त निर्देश की जानबूझ कर तकमील नहीं कि गई थी, अतः वादपत्र अदम तकमील में खारिज किया जाना विधि संगत होगा।

सहायक कलक्टर
एवं उप खण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर हमारा यह विनम्र अभिमत है कि वादीगण/अधिवक्ता वादीगण द्वारा भलीभांति संज्ञान के बावजूद मृतक प्रतिवादी सं. 2, 3, 4 व 6 का चार वर्षो तक कायम मुकाम बाबत् प्रार्थनापत्र प्रस्तुत नहीं करनें, तथा प्रतिवादी सं.1 का आठ माह से अधिक अवधि तक कायम मुकाम बाबत् प्रार्थनापत्र प्रस्तुत नहीं करनें, वास्तविक विलम्ब काल जिसे माफ करवानें के लिये धारा 5 म्याद अधिनियम का प्रार्थना प्रार्थना पत्र पेश नहीं करना तथा उपर्युक्त समस्त घटनाक्रम के दौरान वादीगण/अधिवक्ता वादीगण द्वारा समुचित सजगता एवं पर्याप्त सावधान का परिचय देनें के स्थान पर घोर लापरवाही एवं उदासीनता प्रकट करनें के साथ साथ न्यायालय का किमती वक्त बेवजह जाया किया है, जबकि वादपत्र के सम्यक् एवं यथा समय संचालन का प्रथम कर्तव्य वादीगण का होता है परिसीमा अवधि परिसीमा अधिनियम 1963 की अनुसुची के भाग एक- विनिर्दिष्टि मामलों में आवेदन में किसी मृतक वादी एवं अपीलार्थी के या मृत प्रतिवादी या प्रत्यर्थी के विधिक प्रतिनिधि को सिविल प्रक्रिया 1908 के अधीन पक्षकार बनाने के लिये प्रार्थनापत्र प्रस्तुत करनें की परिसीमा यथास्थिति वादी, अपीलार्थी, प्रतिवादी या प्रत्यर्थी की मृत्यु की तारीख से 90 दिन से बाधित होनें से खारिज/अस्वीकार किया जाना, साथ ही इसके फल स्वरूप चुंकि वादीगण का वादपत्र कानूनन उपशमित(अबेटमेन्ट) हो चुका होनें, तथा वादीगण द्वारा न्यायालय हाजा के निर्देशों की जानबुझकर अदम तकमील करनें से वाद वादीगण जरिये अबेटमेन्ट एवं अदम तकमील में खारिज किया जाना विधि संगत एवं उचित होगा।

-:: आदेश ::-

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में प्रार्थना पत्र प्रतिवादी सं. 1 अन्तर्गत धारा आदेश 22 नियम 9, 10 सपठित धारा 151 व्यवहार प्रक्रिया संहिता साबित होने और सारवान होने से स्वीकार किया जाता है, तथा प्रार्थीगण अन्तर्गत आदेश 22 नियम 04 सपठित धारा 151 व्यवहार प्रक्रिया संहिता भलीभांति साबित नहीं होनें और सारहीन होने के फलस्वरूप वादीगण का वादपत्र कानूनन उपशमित(अबेटमेन्ट) हो चुका होनें तथा वादीगण द्वारा न्यायालय हाजा के निर्देशों की जानबुझकर अदम तकमील करनें से वाद वादीगण जरिये अबेटमेन्ट एवं अदम तकमील में खारिज/अस्वीकार किया जाता है। पत्रावली इसी कदर फैसल शुमार होकर, संख्या से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

(मृदुला शेखावत)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाडा

निर्णय आज दिनांक 16/04/15 को मेरे हस्ताक्षर द्वारा न्यायालय की मुद्रा से जारी कर सरे इजलास सुनाया गया।

(मृदुला शेखावत)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाडा

अन्तिम डिक्री व मुकदमे इब्तदाई
(आर्डर 21 रूल 6-7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बिलाड़ा
व इजलास मृदुला शेखावत, आर.ए.एस.

वादी **बनाम** **प्रतिवादीगण**

भगवतसिह गणपतसिंह वगैराह

दावा अन्तर्गत धारा 88,91,183, 188 राजस्थान टीनेंसी एक्ट

राजस्व वाद संख्या :- 129/2019

निर्णय **दिनांक :-** 16/04/25

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल तई रुबरु हमारे व हाजरी श्री डी डी रामावत अधिवक्ता वादीगण मिनजानिब मुददई प्रतिवादीगण की ओर से श्री गणपतलाल चौधरी अधिवक्ता मुददायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि प्रार्थना पत्र प्रतिवादी सं. 1 अन्तर्गत धारा आदेश 22 नियम 9, 10 सपठित धारा 151 व्यवहार प्रक्रिया संहिता साबित होने और सारवान होने से स्वीकार किया जाता है, तथा प्रार्थीगण अन्तर्गत आदेश 22 नियम 04 सपठित धारा 151 व्यवहार प्रक्रिया संहिता भलीभांति साबित नहीं होनें और सारहीन होने के फलस्वरुप वादीगण का वादपत्र कानूनन उपशमित(अबेटमेन्ट) हो चुका होनें तथा वादीगण द्वारा न्यायालय हाजा के निर्देशों की जानबुझकर अदम तकमील करनें से वाद वादीगण जरिये अबेटमेन्ट एवं अदम तकमील में खारिज/अस्वीकार किया जाता है। पत्रावली इसी कदर फैसल शुमार होकर, संख्या से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

(मृदुला शेखावत)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

तीज - मुबलिग - बाबत् -

खर्चा इस मुकद्दमे के मय व षरह - सालाना आज की तारीख में तारीख वसूलयाबी तक - की अदा करें। बवक्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख को जारी की गई।

मुदायराह	रूपया	पैसे	मुदायराह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			वजह सबूत महनताना वकील		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
फीस कमिश्नर			फीस कमिश्नर		
बाबत् इजराज हुक्मनामा			बाबत् हुराय हुक्मनामा		
मुतफरिक			मुतफरिक		
			दर0 तलबाना		
मीजान			मीजान		

नोट :- इस वर्श के फार्म पर कुल खर्चा हाजरी हर दो फरीकेन का, चाहे डिकरे के जरिये दिलाया गया हो, या नही, दर्ज करना चाहिये।

(मृदुला शेखावत)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा